न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 63 / 2020

योगन्द्र कुमार पुत्र जसबंतसिंह ,पता–म0नं0 596 राजेन्द्र नगर,भरतपुर।

बनाम

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 15.09.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट योगन्द्र कुमार पुत्र जसबंतसिंह ,पता–म0नं0 596 राजेन्द्र नगर ,भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2020 उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर से सूचना चाही गई थी।उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 473 दिनांक 08.09.2020 के द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर से उनके पत्र कभांक / 3201 दिनांक 15.09.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक / 3201 दिनांक 15.09.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को वांछित सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 2370 दिनांक 07.08..2020 की प्रति भी भिजवाई गई है,जिससे स्पष्ट है कि रेस्पो. ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर